न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 19/ 22
जीसीएम संख्यां :–2022/149 वर्ष 2022

बउनवानीः– 1. प्रशान्त बैरवा पुत्र धन्नालाल बैरवा निवासी हाल ग्राम विकास अधिकारी शिवाड़

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत महापुरा पं0स0 चौथ का बरवाडा
2. श्री लोकश जाट पुत्र सायरमल जाट निवासी महापुरा तह0 चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 48 दिनांक 6.12.2021 ग्राम पंचायत महापुरा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री मुकेश बंसल वकील प्रार्थी
2. श्री विष्णु सोमानी वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 20.8.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत महापुरा द्वारा जारी पटटा संख्या 48 दिनांक 6.12.2021 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी! तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश एवं पटटा रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं नियमों के विपरीत एवं विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या एक के नाम दिनांक 17.11.221 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थी महापुरा का निवासी है उसका कई वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है जिसका मौका वर्तमान वार्डपंचो द्वारा भी किया जा चुका है तथा उक्त भूमि की माप भी कमेटी के अनुसार कर दी गयी है जो की पूर्व पश्चिम 25 फिट एवं उत्तर दक्षिण 60 फिट है। उक्त भूमि आबादी भूमि है जिसका पटटा बनाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तैयार कर पेश कर दी गयी है। दिनांक 25.11.2021 को यह पत्रावली पंचायत में पेश हुई जिसकी आदेशिका मे लिखा गया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत पत्रावली चालू करे। सात दिन का आपत्ति नोटिस जारी कर मियाद खत्म होने के पश्चात पेश करे जिस पर 25.11.2021 को आपत्ति नोटिस तैयार कर दिया गया लेकिन उक्त आपत्ति नोटिस पर किसी के भी हस्ताक्षर नही थे एवं सहवन से 3.12.2021 को आदेशिका में लिख दिया गया कि 25.11.2021 को आपत्ति नोटिस निकाला गया जिसकी मियाद 2.12.2021 को समाप्त हो गयी है एवं कार्यालय में कोई आपत्ति नही आई है, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु पेश है इसके उपरान्त वार्ड पंच आदि ने मौका देखकर नक्शा तैयार कर लिया गया तथा प्रशासन गांवो के संग अभियान मे दिनांक 6.12.2021 को शुल्क जमा कर पटटा जारी कर दिया जावे एवं पटटा शुल्क 200/–रू लेकर दिनांक 6.12.2021 को जल्दबाजी में पटटा जारी कर दिया है जबकि निर्णय पर किसी के हस्ताक्षर नही है सम्पूर्ण पत्रावली मे मात्र आवासीय भूमि का जो पटटा जारी हुआ है उस पर ग्राम विकास अ[illegible] के हस्ताक्षर है किन्तु सरपंच के हस्ताक्षर नही है, इसी प्रकार आपत्ति नोटिस पर [illegible] ओर ना ही किस्म भूमि प्रमाण पत्र पर पटवारी के हस्ताक्षर है [illegible] खेल मैदान [illegible] भूमि पर आबादी भूमि का पटटा प्रशासन गांवो के संग अभियान में जल्दबाजी में धोखे से जा[illegible] लिया था जो कि प्रारम्भ से शुन्य है। जबकि खेल मैदान की भूमि [illegible] आबादी का पटटा [illegible] नही हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:57 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

सकता है। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पर भी केवल प्रार्थी के माता पिता के हस्ताक्षर है प्रार्थी के भाईयो के हस्ताक्षर नही है ओर ना ही चार पडोसियों के हस्ताक्षर है। अतः प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत जल्दबाजी मे तैयार किया गया पटटा विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खांरिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस एवं प्रस्तुत लिखित बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। यह तर्क भी प्रार्थी का विवादित भूमि पर बहुत लम्बे समय से कब्जा होने के कारण उक्त भूमि का पटटा बनवाने बाबत दिनांक 17.11.2021 को सरंपच ग्राम पंचायत महापुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी कर, वार्ड पंचो की कमेटी से मौका निरीक्षण करवाया जाकर निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त पटटा जारी किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। जहॉ तक निर्णय दिनांक 6.12.2021, आपत्ति नोटिस,आदेशिका पर सरपंच के हस्ताक्षर नही होने का प्रश्न है तो जल्दबाजी मे हस्ताक्षर होने से रह गये है। पटटे पर सचिव ग्राम पंचायत महापुरा के हस्ताक्षर है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व की गयी कार्यवाही यथा आदेशिका, आपत्ति नोटिस, निर्णय पत्र, नक्शा आबादी भूमि एवं पटटा संख्या 48 इत्यादि पर संरपच के हस्ताक्षर नही है। आपत्ति नोटिस किसके सामने कहॉ चस्पा किया कोई टिप्पणी अंकित नही है। उक्त पटटा 200/—रू शुल्क पर नियम 157 के तहत पुराने गृहो का विनियमितीकरण के तहत जारी किया जाना बताया गया है किन्तु 200/—रू जमा होने से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है ओर उक्त विवादित पटटा जिस भूखण्ड का जारी हुआ है उस भूखण्ड पर पुराना गृह है अथवा नही अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2021 मे अंकित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्णय पत्र में वार्ड पंचो की सिफारिश, कोरम के निर्णय अनुसार पटटा जारी करना बताया गया है किन्तु पत्रावली पर वार्ड पंचो द्वारा पटटा जारी करने बाबत कोई सिफारिश की गयी हो ऐसा कोई तथ्य नही है ओर ना ही निर्णय पर सरपंच/वार्डपंचों के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त पटटा मिसल में सरंपच एवं वार्ड पंचो के हस्ताक्षर के बिना सारी कार्यवाही सम्पादित की गयी जो विधिसम्मत नही है तथा नही इस आधार पर जारी पटटा वैद्य है। इस प्रकार नियम विरूद्व कार्यवाही के आधार पर जारी आदेश जैर निगरानी भी विधिंविरूद्व है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्व तरीके से पारित आदेश जैर निगरानी प्रारम्भ से शुन्य होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.8..2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:57 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner